

17 ⁰⁴/₂₃


पञ्जाब की पेशावर, अधिवक्ता पक्षकारान
उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी।
पञ्जाब की का ध्यानपूर्वक अध्ययन प्रत्येक
किया गया। पञ्जाब में शामिल सत्र
परमावेष्टा, वाद पत्र, गवाहों के बयान
प्रतिवादी के जवाब व बहस में किसे गए
तर्कों पर मनन किया जा रहा गया। पुंकि
तानकी सं 01 ता 08 वादीया के पक्ष में
निर्णीत हुई हैं। अतः वादीया का बयान विभी
किसे जाने योग्य है। वादी का वाद अन्तर्गत
द्वारा 08 राज. कार्यकारी अधि. 1955 के
तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार
किया जाता है। तदुसीपदार रेवद को निर्णय
पुष्क से विस्तृत किया जाकर शामिल
पञ्जाब की ऐकर पालना हेतु तदुसी
जारी है।

कार्यवाही हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
जो इस

पत्रावली मैलाय रुद्राट होकर दर्ज
नाम्बर से समझी पाकर वाबिल
दस्तावेज है


सहायक कलेक्टर
(S. D./O.) रेंवदर